प्रेस को सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 78/2022)

<u>तत्काल प्रकाशन के लिए</u>

<u>भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण</u>

भादूविप्रा ने 'दूरसंचार नेटवर्क में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन (सीएनएपी) का परिचय' पर परामर्श पत्र जारी किया।

नई दिल्ली, 29 नवंबर 2022 : भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज 'दूरसंचार नेटवर्क में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन (सीएनएपी) का परिचय' पर एक परामर्श पत्र जारी किया है।

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने 21.03.2022 के एक संदर्भ के माध्यम से, भारतीय दूरसंचार नेटवर्क में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन (सीएनएपी) सुविधा शुरू करने पर भादूविप्रा अधिनियम, 1997 (संशोधित) की धारा 11(1)(ए) के तहत प्राधिकरण से अपनी अनुशंसाए प्रदान करने का अनुरोध किया।

2. इस संबंध में, 'दूरसंचार नेटवर्क में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन (सीएनएपी) के परिचय पर एक परामर्श पत्र, हितधारकों से उनकी राय प्राप्त करने के लिए भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर रखा गया है। परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर 27 दिसंबर 2022 तक हितधारकों से लिखित टिप्पणियां और 10 जनवरी 2023 तक प्रति-टिप्पणियां आमंत्रित की जाती हैं।

3. टिप्पणियां/प्रति-टिप्पणियां, अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में advmn@trai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं। किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग), भादूविप्रा से टेलीफोन नंबर +91-11-23210481 पर संपर्क किया जा सकता है।

हा/-

(वी. रघुनंदन)

सचिव, भादूविप्रा